



प्रीलिमिंस फैक्ट्स: 11 जून, 2020

- [किसान उत्पादक संगठन](#)
- [सचिवों का अधिकार प्राप्त समूह और परियोजना विकास प्रकोष्ठ](#)
- [वशिव प्रत्यायन दविस 2020](#)
- [तुरंत कसटमस](#)

किसान उत्पादक संगठन Farmer Producer Organisation

भारत सरकार अगले तीन वर्षों में 3,500 किसान उत्पादक संगठनों (Farmer Producer Organisation- FPO) का निर्माण करेगी, जिससे किसानों को उनकी उपज का उच्चतर पारिश्रमिक मूल्य मलि सके ।

प्रमुख बदि:

- आगामी तीन वर्षों में जो FPOs बनाए जायेंगे उनमें से अधिकांश FPO भारत सरकार के 'एक उत्पाद-एक-जिला' पहल पर आधारित होंगे जहाँ FPO मुख्य रूप से कम मात्रा वाली अन्य उपजों के अलावा विशेष कमोडिटी को बढ़ावा देगा एवं इनका व्यापार करेगा ।
- इस वर्ष वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में आगामी पाँच वर्ष में 10,000 FPOs बनाने में मदद करने की घोषणा की थी ।
- वर्तमान में देश में लगभग 5,000 FPOs कार्य कर रहे हैं जिनमें से 910 'लघु कृषक कृषि-व्यापार संघ' (Small Farmers' Agri-Business Consortium- SFAC) से संबद्ध हैं जबकि लगभग 3000 [राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक \(नाबारड\)](#) के अंतर्गत आते हैं । शेष FPOs नज्जी कंपनियों द्वारा बनाए एवं चलाए जा रहे हैं ।

किसान उत्पादक संगठन (Farmer Producer Organisation- FPO):

- 'किसान उत्पादक संगठनों' का अभिप्राय किसानों, विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों के समूह से होता है ।
- इस प्रकार के संगठनों का प्रमुख उद्देश्य कृषि से संबंधित चुनौतियों का प्रभावी समाधान करना होता है ।
- FPOs प्राथमिक उत्पादकों जैसे- किसानों, दूध उत्पादकों, मछुआरों, बुनकरों और कारीगरों आदि द्वारा गठित कानूनी इकाई होती हैं ।
- FPOs को भारत सरकार तथा नाबारड जैसे संस्थानों से भी सहायता प्राप्त होती है ।

सचिवों का अधिकार प्राप्त समूह और परियोजना विकास प्रकोष्ठ

Empowered Group of Secretaries and Project Development Cell

हाल ही में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 'भारत में नविश आकर्षित करने के लिये मंत्रालयों/वभागों में सचिवों के अधिकार प्राप्त समूह (Empowered Group of Secretaries-EGoS) और परियोजना विकास प्रकोष्ठ (Project Development Cell- PDC)' की स्थापना को स्वीकृति दे दी ।

प्रमुख बदि:

- इस नई व्यवस्था से भारत को वर्ष 2024-25 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के वजिन को बल मल्लेगा ।

सचिवों के अधिकार प्राप्त समूह

(Empowered Group of Secretaries-EGoS):

- भारत में नविश के लिये नविशकों को सहायता एवं सुवधिएँ उपलब्ध कराने तथा अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों में विकास को प्रोत्साहन देने के क्रम में नमिनलखिति संयोजन और उद्देश्यों के साथ सचिवों के अधिकार प्राप्त समूह (EGoS) की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है।
 - कैबिनेट सचिव (अध्यक्ष)
 - सीईओ, नीति आयोग (सदस्य)
 - सचिव, उद्योग संवर्द्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (सदस्य संयोजक)
 - सचिव, वाणजिय विभाग (सदस्य)
 - सचिव, राजस्व विभाग (सदस्य)
 - सचिव, आर्थिक मामलों के विभाग (सदस्य)
 - संबंधित विभाग के सचिव (वकिल्प के रूप में)

EGoS के उद्देश्य:

- विभिन्न विभागों और मंत्रालयों के बीच तालमेल कायम करना तथा समयबद्ध स्वीकृतियाँ सुनिश्चित करना।
- भारत में अधिक नविश आकर्षित करना और वैश्विक नविशकों को नविश समर्थन तथा सुवधिएँ उपलब्ध कराना।
- लक्षित तरीके से शीर्ष नविशकों से आने वाले नविश को आसान बनाना और समग्र नविश परदृश्य में नीतित स्थायित्व तथा सामंजस्य कायम करना।
- विभागों द्वारा परियोजना निर्माण तथा उस पर होने वाले वास्तविक नविश के आधार पर नविशों का मूल्यांकन करना।

परियोजना विकास प्रकोष्ठ (Project Development Cell- PDC):

- केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच समन्वय में नविश योग्य परियोजनाओं के विकास के लिये एक 'परियोजना विकास प्रकोष्ठ' (PDC) की स्थापना की भी स्वीकृति दी गई।
- इससे भारत में नविश योग्य परियोजनाओं की संख्या में बढोतरी होगी और FDI प्रवाह भी बढेगा।
- सचिव के दशा-नरिदेशन में संबंधित केंद्रीय मंत्रालय के एक अधिकारी को नविश योग्य परियोजनाओं के संबंध में अवधारणा तैयार करने, रणनीति बनाने, कार्यान्वयन और वविरण के प्रसार का काम सौंपा जाएगा।

उद्देश्य:

- सभी स्वीकृतियों, आवंटन के लिये जमीन की उपलब्धता और नविशकों द्वारा स्वीकार्यता/नविश के लिये पूर्ण वसित्त परियोजना रिपोर्ट के साथ परियोजनाएँ तैयार करना।
- नविश आकर्षित करने और उसे अंतिम रूप देने के क्रम में ऐसे मुद्दों की पहचान करना जिनका समाधान करने की ज़रूरत है तथा उन्हें अधिकार प्राप्त समूह के सामने रखा जाना चाहिये।

भारत सरकार के इस नरिणय से भारत अधिक नविश अनुकूल स्थल के रूप में सामने आएगा और देश में नविश प्रवाह को समर्थन तथा आसान बनाकर 'आत्मनरिभर भारत मशिन' को प्रोत्साहन दिया जा सकेगा।

वशिव प्रत्यायन दविस 2020

World Accreditation Day 2020

वशिव प्रत्यायन दविस (World Accreditation Day- WAD) प्रत्येक वर्ष 9 जून को व्यापार एवं अर्थव्यवस्था में प्रत्यायन की भूमिका को रेखांकित करने एवं बढावा देने के लिये मनाया जाता है।



Accreditation:
Improving food safety

World Accreditation Day

9 June 2020
(#WAD2020)



//

थीम:

- विश्व प्रत्यायन दविस 2020 की थीम 'प्रत्यायन: खाद्य सुरक्षा में सुधार लाना' (Accreditation: Improving Food Safety) है। जसि अंतरराष्ट्रीय प्रत्यायन फोरम (International Accreditation Forum- IAF) एवं अंतरराष्ट्रीय प्रयोगशाला प्रत्यायन सहयोग (International Laboratory Accreditation Cooperation- ILAC) द्वारा नरिधारति कया गया है।

प्रमुख बदि:

- भारतीय गुणवत्ता परषिद (Quality Council of India- QCI) के दो प्रत्यायन बोर्डों 'राष्ट्रीय प्रमाणन नकियाय प्रत्यायन बोर्ड' (National Accreditation Board for Certification Bodies- NABCB) तथा 'राष्ट्रीय परीक्षण एवं अशांकन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड' (National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories- NABL) ने इस अवसर पर एक वेबीनार का आयोजन कया जसिमें सभी संबंधति हतिधारकों ने भाग लया।

भारतीय गुणवत्ता परषिद (Quality Council of India- QCI):

- भारत सरकार ने भारतीय गुणवत्ता परषिद की स्थापना वर्ष 1997 में उद्योग संवर्द्धन एवं आंतरकि व्यापार वभिाग के प्रशासनकि नरितिर्णाधीन एक स्वायत्त नकियाय के तौर पर की थी।
- इस संगठन की स्थापना अनुरूप प्रत्यायन नकियायों के लयाि राष्ट्रीय प्रत्यायन ढाँचे की स्थापना करने एवं उनके प्रचालन करने के अलावा शकिषा, स्वास्थय तथा गुणवत्ता संवर्द्धन के कषेत्तर में प्रत्यायन उपलब्ध कराने के लयाि की गई थी।
- प्रत्यायन ढाँचे के तौर पर भूमकिा अदा करने के अलावा यह 'राष्ट्रीय प्रमाणन नकियाय प्रत्यायन बोर्ड' (National Accreditation Board for Certification Bodies- NABCB) के द्वारा उपलब्ध कराई गई प्रत्यायन सेवाओं के जरयाि गुणवत्ता प्रबंधन प्रणालयाि (ISO 14001 श्रृंखला), खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (ISO 22000 श्रृंखला) तथा उत्पाद प्रमाणन एवं नरिीक्षण नकियायों के संबंध में गुणवत्ता मानकों को अपनाने के लयाि भी प्रोत्साहति करता है।
- QCI में भारतीय उद्योग का प्रतनिधितित्व तीन प्रमुख उद्योग संघों एसोचैम, सीआईआई तथा फकिकी के द्वारा कया जाता है।

'राष्ट्रीय परीक्षण एवं अशांकन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड'

(National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories- NABL):

- NABL अनुरूप प्रत्यायन नकियायों (प्रयोगशालाओं) को मानयता प्रदान करता है।
- NABL भारत की गुणवत्ता परषिद का एक घटक बोर्ड है।
- इसका गठन वर्ष 1988 में कया गया था।

अंतरराष्ट्रीय प्रत्यायन फोरम

(International Accreditation Forum- IAF):

- अंतरराष्ट्रीय प्रत्यायन फोरम उन संगठनों का एक अंतरराष्ट्रीय संघ है जो सामान्य व्यापार सुवधिा उद्देश्यों को प्राप्त करने के लयाि दुनयाि भर में एक साथ काम करने के लयाि सहमत हुए हैं।
- IAF, अनुरूप प्रत्यायन प्रचलन हेतु सदिधांतों एवं प्रथाओं को वकिसति करने के लयाि विश्व में एक प्रमुख मंच है जो बाजार स्वीकृति के लयाि

आत्मविश्वास प्रदान करता है।

- यह उन मान्यता प्राप्त निकायों के माध्यम से कार्य करता है जो प्रबंधन प्रणालियों, उत्पादों, कर्मियों या नरीक्षण को प्रमाणित या पंजीकृत करते हैं।

अंतरराष्ट्रीय प्रयोगशाला प्रत्यायन सहयोग

(International Laboratory Accreditation Cooperation- ILAC):

- ILAC की शुरुआत पहली बार एक सम्मेलन के रूप में हुई थी। यह सम्मेलन 24-28 अक्टूबर, 1977 को कोपेनहेगन, डेनमार्क में आयोजित किया गया था जिसका उद्देश्य मान्यता प्राप्त परीक्षण एवं अंशांकन परणामों की स्वीकृति के संवर्द्धन द्वारा व्यापार को सुवधाजनक बनाने के लिये अंतरराष्ट्रीय सहयोग विकसित करना था।
- वर्ष 1996 में ILAC 'प्रत्यायन निकायों' के बीच आपसी समझौतों के नेटवर्क को स्थापित करने वाले एक चार्टर' के तहत एक औपचारिक सहयोग संगठन बन गया।
- वर्ष 2000 में विश्व के 28 देशों के प्रयोगशाला प्रत्यायन निकायों से संबंधित ILAC के 36 पूर्णकालिक सदस्यों ने मलिकर नरियातति माल के लिये तकनीकी परीक्षण एवं अंशांकन डेटा की स्वीकृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में ILAC म्यूचुअल रिकॉग्निशन अरेंजमेंट' (ILAC MRA) पर हस्ताक्षर किये।
- अंशांकन एवं परीक्षण प्रयोगशालाओं के लिये ILAC MRA 31 जनवरी, 2001 को प्रभावी हुआ।

तुरंत कस्टम्स

Turant Customs

हाल ही में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (Central Board of Indirect Taxes and Customs- CBIC) ने बंगलुरु व चेन्नई में अपना फ्लैगशिप कार्यक्रम 'तुरंत कस्टम्स' (Turant Customs) लॉन्च किया।

प्रमुख बढि:

- CBIC ने बताया है कियह आयातति वस्तुओं के कम समय में सीमा शुल्क निकासी के लिये प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने से संबंधित कार्यक्रम है।
- इस कार्यक्रम के तहत आयातकों द्वारा आयात किये गए सामान का क्लीयरेंस फेसलेस, कांटेक्टलेस एवं पेपरलेस होगा।
 - अर्थात् 'तुरंत कस्टम्स' के जरिये आयातति सामान अगर चेन्नई में आया है तो उसका क्लीयरेंस बंगलुरु में बैठा हुआ ऑफिसर दे सकता है और इसी तरह अगर बंगलुरु में कोई सामान आया है तो उसका क्लीयरेंस चेन्नई में बैठा हुआ ऑफिसर भी दे सकता है।
- तुरंत कस्टम्स 'ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस' के लिये एक प्रमुख सुधार पहल है।
- दिसंबर, 2020 तक इसे देश के सभी बंदरगाहों, हवाई अड्डों, आंतरिक कंटेनर डंपि में शुरू कर दिया जाएगा।
 - पहले चरण में इसके अंतर्गत देश के प्रमुख बंदरगाहों एवं हवाई अड्डों पर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स मशीनरी के आयात को कवर किया जाएगा।

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड

(Central Board of Indirect Taxes and Customs- CBIC):

- केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड, केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अंतर्गत राजस्व विभाग का एक सहायक बोर्ड है।
- यह लेवी एवं सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, केंद्रीय माल एवं सेवा कर और IGST के संग्रह के लिये नीति निर्माण से संबंधित है और यह तस्करी की रोकथाम के लिये भी काम करता है।
- यह बोर्ड अपने अधीनस्थ संगठनों के लिये एक प्रशासनिक प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है जिसमें कस्टम हाउस, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं केंद्रीय जीएसटी आयुक्त (Central Excise and Central GST Commissionerates) और केंद्रीय राजस्व नयितरण प्रयोगशाला (Central Revenues Control Laboratory) शामिल हैं।